**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil First Appeal No. 862/2026
URN: CFA / 1402U / 2026

Girdhari S/o Late Shri Babulal, R/o Vijay Colony, Kasba Bayana, Tehsil Bayana, District Bharatpur.

----Appellant/Plaintiff

Versus

1. Laxman Prasad S/o Late Babulal, R/o Agrasen Colony, Station Road, Bayana, District Bharatpur.

----Respondent/Defendant

2. Sureshchand S/o Babulal, (Deceased).

2/1. Vinod, S/o Late Sureshchand

2/2. Satish, S/o Late Sureshchand

2/3. Savitridevi, W/o Late Sureshchand

2/4. Meena, D/o Late Sureshchand

2/5. Neetu, D/o Late Sureshchand

2/6. Seema, D/o Late Sureshchand

2/7. Rekha, D/o Late Sureshchand

3. Shyam Sundar, Son Of Late Babulal,

4. Mukesh, Son Of Late Babulal,

5. Anil Son Of Late Babulal, R/o Vijay Colony, Kasba Bayana, Tehsil Bayana, District Bharatpur.

6. Smt. Geeta D/o Late Babulal, W/o Rajendra Prasad, R/o Bhusawar, At Present Resident Of Gotri Road, Tanki Ke Pas, Baroda (Gujrat).

----Proforma Respondents/Defendants

---

For Appellant(s) : Mr. Amit Jindal, Adv.
For Respondent(s) :

---

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**

**Order**

**03/07/2026**

**S.B. Civil Misc. Stay Application No. 2738/2026 IN S.B. Civil First Appeal No. 862/2026:-**

अपीलार्थी/वादी के विद्वान अभिभाषक को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अपीलार्थी/वादी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.04.2026 में प्रदर्श–ए1 एग्रीमेंट, जिसके द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का विभाजन होना बताया गया है, उसे पर्याप्त रूप से स्टाम्पित या पंजीकृत नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य होना नहीं माना है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त सम्पत्ति अपीलार्थी/वादी के पिता ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1964 के द्वारा क्रय की थी, जिसकी प्रति वे वाद में प्रस्तुत नहीं कर पाये। इस कारण वर्तमान अपील में आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील में उक्त विक्रय पत्र को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय का यह मत उचित नहीं है कि वादग्रस्त सम्पत्ति अपीलार्थी/वादी के पिता बाबूलाल द्वारा क्रय नहीं की गयी हो। विद्वान विचारण न्यायालय ने गिरधारी बनाम लक्ष्मण वगैरह प्रकरण संख्या 64/2018 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2023 में पक्षकारान के मध्य विवादित सम्पत्ति पर स्थगन पारित कर विवादित सम्पत्ति के 1/7 हिस्से को संबंधित वाद के अंतिम निस्तारण तक किसी प्रकार से अंतरित नहीं किये जाने का आदेश दिया था। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 36/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2026 को स्थगित किया जावे और प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखने का

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते


आदेश दिया जावे तथा वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान व अंतरित नहीं करने के संबंध में आदेश पारित किया जावे।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी/वादी ने वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति अपने पिता बाबूलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 22.10.1964 गैंदालाल व रूप सिंह से क्रय किया जाना बताया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलार्थी/वादी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जो इस अपील के स्तर पर आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 22.10.1964 की वैधानिकता व साक्ष्य में ग्राह्यता का इस स्तर पर विनिश्चय नहीं किया जा सकता। प्रदर्श–ए1 बंटवारानामा जिसमें वादग्रस्त सम्पत्ति का बंटवारा होना बताया गया है, उस पर पी.डब्ल्यू.–1 अपीलार्थी/वादी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रदर्श–ए1 बंटवारानामा पर्याप्त स्टाम्प पर पंजीकृत नहीं होने से इसका प्रकरण पर क्या प्रभाव होगा, इस तथ्य का अवधारण गुणावगुण पर अपील के स्तर पर किया जा सकता है।

पत्रावली के समग्र अवलोकन से इस स्तर पर अपीलार्थी/वादी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई न्यायसंगत व उचित आधार नहीं होने के कारण उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

इस आदेश में दिये गये किसी भी मत का प्रभाव अपील के गुणावगुण पर निस्तारण पर नहीं पड़ेगा।

उपरोक्तानुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

**S.B. Civil First Appeal No. 862/2026:-**

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस पेश होने पर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये जावें।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/13